छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर युगलपीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति।

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश।

विविध अपील क्रमांक 417/2005

अपीलार्थी : 1. श्रीमती किरण पति स्वर्गीय सुनील कुमार, उम्र 24 वर्ष।

2. गिरीश तलरेजा पिता सुनील कुमार, उम्र 1 वर्ष 5 महीने द्वारा, अपनी माँ श्रीमती किरण (वादमित्र) ।

दोनों निवासी पूजा गुड्स ट्रांसपोर्ट, भाटापारा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : 1. मंसूर अंसारी पिता कमसुद्दीन अंसारी, गुरुपाल सिंह पिता बलवंत सिंह

2. गुरुपाल सिंह, पिता बलवंत सिंह दोनों प्रत्यर्थी क्रमांक 1&2 निवासी टी.पी. नगर, कोरबा।

3. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टी.पी. नगर कोरबा, संभागीय प्रबंधक, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मदीना बिल्डिंग, कराची चौक, रायपुर छत्तीसगढ़ ।

4. भगवान दास, पिता स्वर्गीय समन मल, उम्र 57।

5. श्रीमती अंबरी देवी पति भगवान दास, उम्र 54 ।

दोनों क्रमांक 4 और 5 निवासी पूजा गुड्स ट्रांसपोर्ट, भाटापारा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. ।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील

उपस्थित: श्री राजा शर्मा, ,_अपीलार्थीओं के अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 के लिए कोई नहीं।

श्री राज अवस्थी, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

श्री विमलेश बाजपेयी, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 और 5 के अधिवक्ता।

<u>विविध अपील क्रमांक 417/2005</u>

<u>अपीलार्थी</u> : 1. भगवान दास, पिता स्वर्गीय समन मल, उम्र 57।

2, श्रीमती अंबरी देवी पति भगवान दास, उम्र 54 ।

दोनों क्रमांक 4 और 5 निवासी पूजा गुड्स ट्रांसपोर्ट, भाटापारा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : 1. मंसूर अंसारी पिता कमसुद्दीन अंसारी, गुरुपाल सिंह पिता बलवंत सिंह

2. गुरुपाल सिंह, पिता बलवंत सिंह दोनों प्रत्यर्थी क्रमांक 1&2 निवासी टी.पी. नगर, कोरबा।

3. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टी.पी. नगर कोरबा, संभागीय प्रबंधक, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मदीना बिल्डिंग, कराची चौक, रायपुर छत्तीसगढ़ ।

4. श्रीमती किरण पति स्वर्गीय सुनील कुमार, उम्र 24 वर्ष।

5.गिरीश तलरेजा पिता सुनील कुमार, उम्र 1 वर्ष 5 महीने, अपनी माँ श्रीमती किरण (वादमित्र) के माध्यम से।

दोनों निवासी मूलचंद कन्हयालाल घुटानी जोरारा जिला रायपुर छ.ग.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील

उपस्थित: श्री विमलेश बाजपेयी, अपीलार्थीओं के अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 के लिए कोई नहीं।

श्री जी.वी.के. राव, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

श्री राजा शर्मा, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 और 5 के अधिवक्ता।

आदेश

(25 मार्च, 2011)

मुख्य न्यायाधिपति राजीव गुप्ता द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण रायपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दावा वाद क्रमांक 11/2002 में दिनांक 13.12.2004 को पारित आक्षेपित निर्णय के कारण प्रतिकार में वृद्धि के लिए ये दो अपील दायर की गई हैं। एम.ए. क्रमांक 417/2005 मृतक सुनील कुमार की विधवा श्रीमती किरण और पुत्र गिरीश तलरेजा द्वारा दायर की गई है, जबकि एम.ए. क्रमांक 946/2005 मृतक सुनील कुमार के पिता भगवान दास और माता श्रीमती अंबरी देवी द्वारा दायर की गई है। अपील में माता-पिता केवल न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिकार में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जबकि मृतक की विधवा और नाबालिग पुत्र प्रतिकार में वृद्धि के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा दावेदारों के बीच प्रतिकार के बंटवारे में संशोधन की मांग कर रहे हैं।

2). मृतक सुनील कुमार की दुर्भाग्यपूर्ण विधवा, नाबालिग पुत्र और माता-पिता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत संयुक्त दावा याचिका दायर करके 04.12.2001 को मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए 70,00,000/- रुपये के प्रतिकार का दावा किया गया था, जबकि न्यायाधिकरण ने दावेदारों को प्रतिकार के रूप में कुल 4,00,000/- रुपये की राशि प्रदान किया साथ ही निर्णय की तारीख से लेकर वास्तविक संदाय की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित संदाय दिया जाएगा।

3) न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों की गहन जांच करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक सुनील कुमार की मृत्यु 04.12.2001 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; यह दुर्घटना दोषी वाहन ट्रक (पंजीकरण क्रमांक एम.बी.टी.-8999) के चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई थी; चूंकि दुर्घटना की तिथि पर उक्त दोषी वाहन ट्रक का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से था और बीमा कंपनी पॉलिसी

की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को साबित नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकार देने के लिए उत्तरदायी थी।

4) चूंकि प्रत्यर्थीयों ने फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष अब अंतिम हो गए हैं।

5) न्यायाधिकरण ने मृतक की आय 3,000 रुपये प्रति माह और 36,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 36,000 रुपये में से 1/3 भाग घटाने पर, दावेदारों की आश्रितता 24,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। 24,000 रुपये की वार्षिक आश्रितता को 15 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकार 3,60,000 रुपये निकला। अन्य मदों के अंतर्गत 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करके, न्यायाधिकरण ने मोटर दुर्घटना में मृतक सुनील कुमार की मृत्यु के लिए दावेदारों को प्रतिकार के रूप में कुल 4,00,000 रुपये की राशि प्रदान किया । न्यायाधिकरण ने आगे निर्देश दिया कि उपरोक्त प्रतिकार की राशि 4,00,000/- रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान, निर्णय की तिथि से लेकर वास्तविक संदाय की तिथि तक दिया जाएगा

6) विद्वान अधिवक्ता श्री राजा शर्मा एम.ए. क्रमांक 417/2005 में अपीलार्थीओं की ओर से, मृतक सुनील कुमार की विधवा और नाबालिग पुत्र , ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय के संबंध में दावेदारों के साक्ष्य को स्वीकार न करने और उनकी आय का आकलन केवल 3,000 रुपये प्रति माह और 36,000 रुपये प्रति वर्ष करने में त्रुटि की है; 15 के निम्न गुणक का चयन करने में; केवल 4,00,000 रुपये का कम प्रतिकार देने में; और उपरोक्त प्रतिकार में से माता-पिता को भी समान हिस्सा देने का निर्देश देने में त्रुटि की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7) मृतक के माता-पिता द्वारा दायर एम.ए. क्रमांक 946/2005 में अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विमलेश बाजपाल ने भी तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का आकलन केवल 3,000 रुपये प्रति माह और 36,000 रुपये प्रति वर्ष करने और केवल 4,00,000 रुपये का कम प्रतिकार देने में त्रुटि की है।

8) प्रत्यर्थी क्रमांक 3, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि दोषी वाहन ट्रक की बीमाकर्ता है, के विद्वान अधिवक्ता श्री राज अवस्थी और श्री जी.वी.के. राव ने दूसरी ओर प्रतिकार का समर्थन किया और तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 4,00,000 रुपये का प्रतिकार वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत प्रतिकार है।

9) मोटर दुर्घटना के दावे के वाद में महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाने वाला प्रतिकार वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत होना चाहिए। यह प्रतिकार न तो मामूली होना चाहिए और न ही बहुत बड़ा।

10) अब हम इस बात की जांच करेंगे कि न्यायाधिकरण द्वारा 4,00,000 रुपये का प्रतिकार वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत प्रतिकार है या नहीं।

11) यह सच है कि दावेदारों ने दावा किया कि मृतक सुनील कुमार एलआईसी और लघु बचत एजेंट के रूप में प्रति माह 25,000 रुपये कमाते थे, लेकिन मृतक की इतनी आय साबित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्यों की इस स्थिति में, हमें न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की आय का 3,000 रुपये प्रति माह और 36,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं मिलती।

12) मृतक की आय के सामान्य 1/3 भाग को उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए घटाकर न्यायाधिकरण द्वारा दावेदारों की आश्रितता का भी सही आकलन किया गया है।

13) न्यायाधिकरण द्वारा चयनित 15 का गुणक निश्चित रूप से कम है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

14) यह देखते हुए कि मृतक सुनील कुमार, दुर्घटना के दिन लगभग 27 वर्ष के थे, हमारा मत है कि सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर वर्तमान वाद में 17 का गुणक उचित होगा, जो में प्रकाशित हुआ है, जिसमें 26-30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 17 का गुणक निर्धारित किया गया है।

15) 24,000 रुपये की वार्षिक आश्रितता को 17 के गुणक से गुणा करने पर मुआवज़ा 4,08,000 रुपये बनता है। दावेदारों को अंत्येष्टि व्यय के लिए 5,000 रुपये, संपत्ति की हानि के लिए 5,000 रुपये और विधवा को वैवाहिक संबंधों की हानि के लिए 5,000 रुपये भी दिए जाते हैं। इस प्रकार, दावेदार मोटर दुर्घटना में मृतक सुनील कुमार की मृत्यु के लिए कुल 4,23,000 रुपये के मुआवज़े के हकदार हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16) दावेदारों को 23,000 रुपये के प्रतिकार की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की निर्धारित राशि के रूप में 2,000 रुपये भी दिए जाते हैं।

17) मृतक की विधवा और नाबालिग बच्चे तथा उसके माता-पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि 23,000/- रुपये की पूरी बढ़ी हुई राशि और 2,000/- रुपये का निर्धारित ब्याज केवल मृतक सुनील कुमार की विधवा श्रीमती किरण को ही देय होगा तथा अन्य दावेदार इस राशि में से कोई हिस्सा पाने के हकदार नहीं होंगे।

18) उपरोक्त कारणों से, अपीलार्थीओं/दावेदारों द्वारा दायर अपीलें (एम.ए. क्रमांक 417/2005 और एम.ए. क्रमांक 946/2005) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किया गया 4,00,000/- रुपये का प्रतिकार बढ़ाकर 4,23,000/- रुपये कर दिया जाता है, जिसमें 23,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकार की राशि पर 2,000/- रुपये का ब्याज भी शामिल है।

19)प्रत्यर्थी नंबर 3, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने कुल 25,000/- रुपये (23,000/- रुपये बढ़े हुए मुआवज़े की रकम और 2,000/- रुपये 23,000/- रुपये

की बढ़ी हुई मुआवज़े की रकम पर तय किए गए ब्याज की रकम) जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है

20) इस आदेश के अनुपालन में ट्रक के बीमाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली 23,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकार की पूरी राशि और 2,000/- रुपये के ब्याज की निर्धारित राशि केवल श्रीमती किरण, एम.ए. क्रमांक 417/2005 में अपीलार्थी क्रमांक 1, जो मृतक सुनील कुमार की विधवा हैं, को देय होगी और दोनों अपीलों में अन्य दावेदारों को इस राशि में से कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

21) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही /-
मुख्य न्यायाधिपति

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore